उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-20/2019-20

मु0 शमसूल होदा

वनाम्

महमूद आलम एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 22/01/20

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मु0 शमसूल होदा, पे0–मु0 हफीजुद्दिन, सा0–मंझगाँव, थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनमुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–25/17–18 आदेश दिनांक–29.0619 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 केश नं0–25/17–18 आदेश दिनांक–26.09.2019 के द्वारा महमूद आलम को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–डोय का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा–डोय नं0–321 के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया था। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के आवेदन पर अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। इसके बाद उत्तरवादी सं0–01 महमूद आलम ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत मौजा–डोय के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदन पत्र दिया। उत्तरवादी सं0–01 के आवेदन पर भी अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, मेहरमा ने विस्तार में जाने बिना ही सिर्फ महमूद आलम के आवेदन पत्र पर उत्तरवादी सं0–01 महमूद आलम को गत प्रधान का ज्येष्ठ पुत्र दिखाते हुए उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा–डोय का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया। उस जाँच प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता शमसूल होदा के पक्ष में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी

सं0–01 महमूद आलम का उत्तराधिकारी के आधार पर दावा नहीं बनता है। क्योंकि उत्तरवादी महमूद आलम के पिता की नियुक्ति जो अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–12/81–82 के द्वारा की गयी थी, को विद्वान उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय के आर0एम0ए0 नं0–13/84–85 के आदेश दिनांक–03.02.86 द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिए उत्तरवादी सं0–01 का उत्तराधिकारी के आधार पर दावा चलने योग्य नहीं था। साथ ही मौजा–डोय का प्रधानी पद 34–35 वर्ष से खाली पड़ा हुआ था। इस स्थिति में संथाल पगरना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा–डोय में प्रधान नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के दाखिल तथ्यों पर विचार किये बिना ही गलत तरीके से उत्तरवादी सं0–01 को मौजा–डोय का प्रधान नियुक्त किया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी सं0–01 महमूद आलम को अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 केश नं0–25/17–18 आदेश दिनांक–29.06.2019 के द्वारा मौजा–डोय का प्रधान नियुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने तर्क संगत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरवादी सं0–01 गत प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। अंचल अधिकारी, मेहरमा ने तथ्यों का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया था और उसी जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उत्तराधिकारी के आधार पर उत्तरवादी सं0–01 को मौजा–डोय का प्रधान नियुक्त किया गया है। जबकि अपीलकर्त्ता ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। लेकिन अपीलकर्त्ता न तो मौजा–डोय के रैयत है और न ही मौजा के रैयत अपीलकर्त्ता को चाहते है। अपीलकर्त्ता का दावा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, अभिलख में उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट

होता है कि मौजा–डोय नं0–321 प्रधानी मौजा है। मौजा के अंतिम प्रधान शे0 नजमुद्दिन थे। निम्न न्यायालय के द्वारा उत्तरवादी सं0–01 महमूद आलम को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा–डोय नं0–321 का प्रधान नियुक्त किया गया है। अपीलकर्त्ता का कथन है कि गत प्रधान के नियुक्ति आदेश को खारिज किया गया। लेकिन अपीलकर्त्ता की ओर से नियुक्ति आदेश को खारिज करने संबंधी कागजात दाखिल नहीं किया है। जबकि उत्तरवादी द्वारा गत प्रधान को निर्गत पट्टा का छाया प्रति दाखिल किया था। वर्तमान अपीलवाद में अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय से भिन्न कोई भी तथ्य नहीं लाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है एवं निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पी0ए0 केश नं0–25/17–18 में दिनांक–29.06.2019 के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/07/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

22/07/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

24/7/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:43:10 +05:30
Location: 192.168.29.32